"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

ए–सेट हाउस, 7/56, डी. बी. गुप्ता मार्ग,
करोल बाग, नई दिल्ली – 110005

अधिग्रहण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न तालिका में अंकित तिथियों पर निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं (उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं) को यहां नीचे दी गई तालिका में विवरणितानुसार अंकित राशि का, राशि पर भावी ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण तथा सह–उधारकर्तागण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 23–09–2026 को अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां निम्न अंकितानुसार संबंधित राशि हेतु डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मांग सूचना तिथि	11–06–2026
उधारकर्ता(ओं) एवं सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम	1. श्रीमती विमला देवी, 2. श्री सुमित कुमार तथा 3. श्री ओमवीर सिंह
कुल बकाया राशि	रु. 7,86,986.87/– (रुपये सात लाख छियासी हजार नौ सौ छियासी और सत्तासी पैसे मात्र) 11–06–2026 के अनुसार
अचल संपत्ति का विवरण	खसरा संख्या 1087 में समाविष्ट 90 वर्ग गज अर्थात् 75.24 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड की संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा तथा अंश जो ग्राम सिहानी, परगना लोनी, तहसील तथा जिला गाजियाबाद में स्थित है, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :– पूर्व : 10 फीट चौड़ी गली, पश्चिम : प्रमोद का भूखंड, उत्तर : 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : मिंटू का भूखंड।

दिनांक : 26–09–2026 — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — **डीसीबी बैंक लिमिटेड**

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत कार्यालय: 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, तेयामपेट, चेन्नई–600015

आरएएम - ब्रजेश अवस्थी 9918301885
आरआरएम - हरीश यादव 7060411785 सीएलएम - रवि 9999048581 जेडआरएम - सर्वेश गुप्ता 9873925255

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में

1. श्री मुकेश कुमार..., उधारकर्ता 2. श्रीमती कल्पना... सह–उधारकर्ता। निवास का पता– मकान नंबर 1,0, समाना, मेट्टो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत 245301, संपत्ति का पता: एक रिहायशी सिंगल–स्टोरी (एक मंजिला) मकान नं. 199, क्षेत्रफल 161.77 वर्ग गज, खसरा नंबर 444 का हिस्सा, गाँव समाना, परगना दसना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़

लैन नंबर GZ/GNR/GNRN/A000000691

जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित दिनांक 22.12.2025 के आदेश के अनुसार सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी एक मंजिला मकान नंबर 199, जिसका क्षेत्रफल 161.77 वर्ग गज और जो खसरा नंबर 444 का हिस्सा गाँव समाना, परगना दसना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ इसकी सीमाएँ: पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट, उत्तर: 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: पिंटू का मकान, का **भौतिक कब्जा 24.09.2026** को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि ये संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

दिनांक : 26.09.2026, स्थान : हापुड़
प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SAVE

(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालय: यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075, ई–मेल: info@newhabitat.in, info@savehfl.in
वेब: www.savehfl.in, मो.: +91-9810083317

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई–नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) "जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी।

क्र. स.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि व समय: समय : 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	1. राजू जेशवाल पुत्र श्री कौशल बाबू @ कौशल कुमार एवं 2. श्रीमती आशा देवी पत्नी राजू जेशवाल ऋण खाता संख्या **HSG/N/HEA/AGR /0324/0025**	प्लॉट नंबर 13 पर आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर है, जिसका आयाम पूर्व से पश्चिम 20 फीट और उत्तर से दक्षिण 45 फीट, खसरा नंबर 442मी, कवर्ड एरिया 91.61 वर्ग मीटर है मुमटियाके महारानी बाग कोटली बगीची (चक सोयन), ताज गंज वार्ड, जिला और तहसील–आगरा, उत्तर प्रदेश पूर्व:– प्लॉट नंबर 14 — पश्चिम:– प्लॉट नंबर 11 उत्तर:– 15 फीट चौड़ी सड़क — दक्षिण:–प्लॉट नंबर 24 पर बना विरमति हाउस (भौतिक कब्जा के साथ)	आर.पी.–रु. 16,25,000.00 ईएमडी–रु. 1,62,500.00 रु. 25,000/-	13/10/2026 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	कुल बकाया रुपये 19,40,241/– दिनांक 25/09/2026 तक

ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एंव समय : 12.10.2026 के 4.00 बजे अप. तक
संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 08.10.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपरा.। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें–9810083317

"नीलामी के नियम एंव शर्तें इस प्रकार है : 1) ई–नीलामी एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट - www.bankeauctions.com पर "ऑन लाइन" आयोजित होगी। संपर्क करें मिथिलेश कुमार, मोबाइल–7080804466, Email- delhi@c1india.com, हेल्पलाइन नंबर - 7291981124,25,26. 2) इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को लाभभोगी सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बी नोएडा (04077) शाखा, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301. आईएफएससी कोड : SBIN0004077 में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/अंतरण द्वारा अर्थात सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। 3) सफल बोलीदाता को बिक्री के दिन ही 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। 4) निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता/नीलामी के क्रेता द्वारा भुगतान में चूक करने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व–प्रदत्त राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी। 5) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अथवा ई–नीलामी को निरस्त/निलम्बित करने अथवा कोई भी कारण बताये बिना किसी भी चरण में नीलामी प्रक्रिया या उसके किसी भाग को वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। 6) ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाईट पर उपलब्ध है: www.bankeauctions.com तथा www.savehfl.in

दिनांक 25–09–2026, स्थान: आगरा, यू.पी. — **प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :– 502, टावर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
सर्किल कार्यालय :– 9–बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट –IV–A [नियम 8 (6) और 9(1) का परंतुक देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) तथा 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य
1.	1. श्री राम गोपाल सिंह (कर्जदार) 2. श्रीमती राजेंद्री (सह–कर्जदार) (ऋण खाता संख्या 51100001032188 और 51200001019818 रु. 77,68,670/– (रूपये सतहत्तर लाख अड़सठ हजार छह सौ सत्तर मात्र) 29–07–2026 तक + लागू भावी ब्याज	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि एवं भवन, खसरा नंबर 526, क्षेत्रफल परिमाप 120 वर्ग गज यानी 100.37 वर्ग मीटर, जो गांव पटना, परगना और तहसील हापुड़, बहार सीमा नगर पालिका हापुड़, उत्तर प्रदेश –245101 में स्थित है। चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब: नवीन मंडी, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: उमेश का मकान, दक्षिण: श्री ओमवीर का मकान	1. ई–नीलामी की तिथि : 16–10–2026 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 15–10–2026 3. निरीक्षण की तिथि : 14–10–2026	सुरक्षित मूल्य : रू. 66,24,000/– (रूपए छियासठ लाख चौबीस हजार मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 6,62,400/– (रूपए छह लाख बासठ हजार चार सौ मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 60,000/– (रूपए साठ हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट www.caprihomeloans.com/auction में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :–

1. सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई–नीलामी बिक्री सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आस्ति के स्वामित्व के स्वामित्व एवं वर्तमान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अथवा ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई–नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. संभावित बोलीदाता ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079–61200531/576/596/559/598/587/594), श्री रामप्रसाद शर्मा मोबाइल नंबर 800–002–3297/79–6120 0559, ई–मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।**
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 15–10–2026 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, **आंचलिक कार्यालय, 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060** को अधिकतम 15–10–2026 के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर – ..... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई–नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई–नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई यूजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, आंच. लिक कार्यालय, 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/ आरटीजीएस/चैक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।
18. म्युनिसिपल/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित/निरस्त कर सकते हैं। ई–नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे।
24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री का अंश नहीं है।
25. कृपया नोट करें कि यदि ईएमडी जमा करने के बाद केवल एक बोलीदाता ग्राह्य पाया जाता है, तो उस बोलीदाता के भाग नहीं लेने पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे बोलीदाता को नियत तिथि और समय पर लॉग इन करके लाइव ई–ऑक्शन में भाग लेना अनिवार्य है। केवल बोली फार्म जमा करना और ईएमडी जमा करना प्रतिभागिता नहीं मानी जाएगी। यदि एकमात्र ग्राह्य बोलीदाता किसी भी कारण से (ई–नीलामी सेवा प्रदाता की प्रमाणीकृत तकनीकी खराबी को छोड़कर) लॉग इन करके लाइव ई–नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाता है, तो ईएमडी बिना और कोई सूचना दिए स्वतः जब्त हो जाएगी, और प्राधिकृत अधिकारी बोलीदाता के प्रति किसी भी दायित्व के बिना नीलामी निरस्त करने तथा/अथवा नई नीलामी संचालित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
26. **कृपया नोट करें कि एसए 865/2026 के माध्यम से एक प्रतिभूतिकरण आवेदन डीआरटी लखनऊ के समक्ष लम्बित है।**
27. **अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड : श्री आभास सिंह मोबाइल नंबर 8126274235 तथा अजीत कुमार मोबाइल नंबर 9910198552 से सम्पर्क करें।**
28. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत, उपरिवर्णित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 15 (पंद्रह) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विशेष अनुदेश/चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विफलता/कमी (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक रूकावट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : हापुड़ तिथि : 26–सितम्बर–2026 — **हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

INDIAN EXPRESS GROUP

THE LATEST TRENDS IN BUSINESS

THE LATEST TRENDS IN TRENDS

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead